संख्या-36/784/एक-1-2016-1(21)/2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद ।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2016

विषयः- शिवराम रामदास गुलाटी मेमोरियल सोसायटी द्वारा जनपद इलाहाबाद में 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की भूमि का निःशुल्क विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-129/डी0एल0आर0सी0, दिनॉक 01.08.2015 एवं पत्र संख्या-419/डी0एल0आर0सी0, दिनॉक 23.11.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा शिवराम रामदास गुलाटी मेमोरियल सोसायटी द्वारा क्रय भूमि में से निजी विश्वविद्यालय हेतु 40 एकड़, मेडिकल कालेज हेतु 20 एकड़, डेन्टल कालेज हेतु 05 एकड़ तथा इंजीनियरिंग कालेज हेतु 2.50 एकड़ अर्थात् कुल 67.50 एकड़ का औचित्य स्पष्ट किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 154 की उपधारा (3) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल शिवराम रामदास गुलाटी मेमोरियल सोसायटी द्वारा ग्राम रावतपुरा एवं जलालपुर घोषी तहसील सदर जनपद इलाहाबाद में विहित सीमा से अधिक अर्थात् 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई भूमि में से 55.00 एकड़ के निःशुल्क विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) संस्था शिवराम रामदास गुलाटी मेमोरियल सोसायटी द्वारा क्रय की गयी भूमि में से उतनी ही भूमि की अनुमति अनुमन्य होगी, जो उसके लिये आवश्यक हो।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा अन्य संगत शासनादेशों के अधीन अनुमन्य होगी।

shasnadesh.up.nic.in

-2-

(3) संस्था द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग केवल मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज तथा निजी यूनिवर्सिटी हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा जिसके लिये भूमि क्रय की गई है। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर शासन द्वारा उपर्युक्त अनुमति निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

(5) क्रय की गई भूमि अधिकृत संस्था के नाम होगी।

(6) उक्त भूमि धारित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन होगा।

(7) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(8) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित/सीलिंग एवं शासकीय भूमियों के सम्बन्ध में अधिनियम/नियमावली की व्यवस्था के आलोक में पूर्ण प्रस्ताव संगत अभिलेखों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) संस्था द्वारा मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज तथा निजी यूनिवर्सिटी को अत्याधुनिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाये जाने के सम्बन्ध में, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्रय की गयी अवशेष भूमि के सम्बन्ध में यथासमय विनियमितीकरण पर विचार किया जायेगा।

(10) संस्था शिवराम रामदास गुलाटी मेमोरियल सोसायटी द्वारा मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज तथा निजी यूनिवर्सिटी की स्थापना 05 वर्ष में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(11) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संस्था की 12.50 एकड़ भूमि को छोडकर अवशेष भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(12) जिलाधिकारी, इलाहाबाद उपर्युक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

shasnadesh.up.nic.in

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

-3-

संख्या-784(1)/एक-1-2016-1(21)/2015 तद दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 को पत्रावली संख्या-51 एलयूसी/11 के क्रम में।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5. डा0 जगदीश गुलाटी, महासचिव, शिवराम रामदास गुलाटी मेमोरियल सोसायटी, यूनाइटेड टावर, 53 लीडर रोड, इलाहाबाद।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in